

(1)

**कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0)**

**(सांख्यिकीय अनुभाग)**

**:: कार्य विभाजन आदेश ::**

**क्रमांक-01/दो-12-1/90(SW)**

**पन्ना, दिनांक-27 जनवरी, 2024**

**(Work Distribution File)**

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, **भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना** इस जिले के समस्त व्यवहार न्यायालयों में आपराधिक एवं व्यवहार कार्य का विभाजन करते हुये, वर्ष-2024 हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करती हूँ। यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक-**29.01.2024** से प्रभावशील होगा।

| क्र0 | न्यायालय का नाम              | क्षेत्र  | प्रकरणों का प्रकार   |
|------|------------------------------|--|--|
| 1(अ) | सत्र न्यायाधीश, पन्ना        | सम्पूर्ण सत्र खण्ड पन्ना                       | 01. समस्त सत्र प्रकरण।<br>02. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपीलें।<br>03. आपराधिक अपीलें।<br>04. अपचारी बालकों से संबंधित आदेशों के विरुद्ध अपीलें।<br>05. आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन।<br>06. आपराधिक विविध प्रकरण।<br>07. आपराधिक विविध (संशोधन) अधिनियम के विशेष प्रकरणों का प्रस्तुतिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित ऐसे प्रकरणों का निराकरण।<br>08. जमानत आवेदन पत्र।(अपर सत्र न्यायालय पवई की क्षेत्राधिकारिता के अतिरिक्त)<br>09. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण।<br>10. ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940<br>11. रजिस्ट्री पत्र क्रमांक-ए/3452 दिनांक 04.09.2022 के अनुपालन में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई।<br>12. ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं। |
| 1(ब) | प्रधान जिला न्यायाधीश, पन्ना | सम्पूर्ण राजस्व जिला पन्ना (तहसील पवई, रैपुरा, | 01. रु. 5,00,00,000 (पाँच करोड) से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद।<br>02. उपरोक्त व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरणों की कार्यवाहियाँ।<br>03. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना, द्वितीय  |

(2)

| क्र0 | न्यायालय का नाम | क्षेत्र                       | प्रकरणों का प्रकार   |
|------|-----------------|-------------------------------|--|
|      |                 | शाहनगर एवं सिमरिया को छोड़कर) | <p>व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना (ट्रेनी जर्जों) द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित अपीलें तथा विविध व्यवहार अपीलें।</p> <p>04. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अजयगढ़/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ/वरिष्ठ खण्ड अजयगढ़ द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित व्यवहार अपीलें।</p> <p>05. रेंट कंट्रोल अथोरिटी के निर्णय के विरुद्ध उत्पन्न अपीलें।</p> <p>06. पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 की धारा 17 के अधीन अपीलें।</p> <p>07. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) तथा 173 के अन्तर्गत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अजयगढ़/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ़ द्वारा अपीलों में पारित निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण।</p> <p>08. किसी भी अन्य केन्द्रीय अथवा स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली अपीलें।</p> <p>09. न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>10. थाना कोतवाली पन्ना, देवेन्द्रनगर, गुनौर, में पंजीबद्ध मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों से उद्भूत मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना दावा एवं घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेण्ट एक्ट, 1855) के समस्त प्रकरण।</p> <p>11. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना (ट्रेनी</p> |

(3)

| क्र० | न्यायालय का नाम   | क्षेत्र         | प्रकरणों का प्रकार  |
|------|---|-----------------|---|
|      |   |                 | <p>जजों) द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें।</p> <p>12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अजयगढ़/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ़ द्वारा पारित निर्णय, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न विविध व्यवहार अपीलें।</p> <p>13. पब्लिक प्रिमाइसेस इव्हिक्शन एक्ट 1971 के प्रकरण।</p> <p>14. विशिष्ट अनुतोष (संसोधन) अधिनियम, 2018 अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के दावों का विचारण।</p> <p>15. अन्य जिलों से प्राप्त इजराय एवं विविध प्रकरणों पर कार्यवाहियाँ।</p>   |
| 2(अ) | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना                                 | सत्र खण्ड पन्ना | <p>01. ऐसे समस्त प्रकार के प्रकरण (सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक विविध प्रकरण) एवं जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किए जाए।</p> <p>02. संपूर्ण सत्र खण्ड जिला पन्ना में (अ.जा./अ.ज.जा.) अत्याचार निवारण (अधिनियम) के तहत विशेष सत्र प्रकरण।</p> <p>03. दं०प्र०सं० की धारा 10(3) एवं एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं आवेदन पत्र।</p> <p>04. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>05. उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण।</p> |
| 2(ब) | प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना | —               | <p>01. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना के द्वारा अन्तरित किए जायें।</p>  |
| 3(अ) | प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,                                      | सत्र खण्ड पन्ना | <p>01. ऐसे समस्त प्रकार के प्रकरण (सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक विविध</p>  |

(4)

| क्र० | न्यायालय का नाम             | क्षेत्र  | प्रकरणों का प्रकार   |
|------|-----------------------------|--|--|
|      | पन्ना                       |  | <p>प्रकरण) एवं जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किए जाए।</p> <p>02. सी०पी० एण्ड बरार ड्रग्स रूल्स 1945 की धारा 66(2) के अधीन अपीलें।</p> <p>03. डेन्टिस्ट एक्ट, 1956 की धारा 32(4) के अन्तर्गत अपीलें।</p> <p>04. मेन्टल हैल्थ एक्ट 1987 के अधीन प्रकरण।</p> <p>05. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना एवं पूर्व में कार्यरत तथा वर्तमान में रिक्त समस्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त हुये हों एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>06. म०प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के समस्त प्रकरण।</p> <p>07. संपूर्ण सत्र खण्ड जिला पन्ना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत इस जिले में उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>08. विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>09. संपूर्ण सत्र खण्ड पन्ना में एन.डी.पी.एस.एक्ट, 1985 के अधीन पेश होने वाले प्रकरण (मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>10. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> |
| 3(ब) | प्रथम जिला न्यायाधीश, पन्ना | सम्पूर्ण राजस्व जिला पन्ना (तहसील पवई, शाहनगर, रैपुरा एवं सिमरिया को छोड़कर) | <p>01. रु. 1,00,00,000 से 5,00,00,000 रूपए तक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद।</p> <p>02. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>03. लघुवाद न्यायालय के अन्तर्गत प्रस्तुत रु० 501/- से अधिक 1000/- रु० तक मूल्य के दावे।</p> <p>03. प्रोवेट एण्ड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकरण।</p> <p>04. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जायें।</p> <p>05. प्रथम जिला न्यायाधीश एवं पूर्व में कार्यरत तथा वर्तमान में रिक्त समस्त जिला न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त हुये हों एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>06. ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले</p>   |

(5)

| क्र० | न्यायालय का नाम                   | क्षेत्र         | प्रकरणों का प्रकार   |
|------|-----------------------------------|-----------------|--|
|      |                                   |                 | <p>समस्त प्रकरण।</p> <p>07. म०प्र० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अधीन राजस्व जिला पन्ना में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक) , मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा(1) ) (समस्त राजस्व जिला पन्ना)</p> <p>08. दिवालिया अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>09. इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, 1912 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>10. माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत पंचाट मामले /माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के मामले।</p> <p>11. म०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) तथा 173 के अन्तर्गत पन्ना में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा अपीलों में पारित निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण।</p> <p>12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के आदेशों के विरुद्ध प्रकरण।</p> <p>13. म०प्र० नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत निर्वाचन याचिकायें।</p> <p>14. भू-अर्जन अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>15. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>16. थाना धरमपुर, अजयगढ़ और अमानगंज में पंजीबद्ध मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों से उद्भूत मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना दावा एवं घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेण्ट एक्ट, 1855) के समस्त प्रकरण।</p> |
| 4(अ) | द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पन्ना | सत्र खण्ड पन्ना | <p>01. ऐसे समस्त प्रकार के प्रकरण (सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक विविध प्रकरण) एवं जमानत आवेदन जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किए जाए।</p> <p>02. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण एवं रिमांड कार्यवाहियाँ।</p> <p>03. सम्पूर्ण सत्र खण्ड पन्ना में SC/ST (POA) Act एवं</p>   |

(6)

| क्र० | न्यायालय का नाम                            | क्षेत्र                              | प्रकरणों का प्रकार  |
|------|--|--------------------------------------|---|
|      |  |                                      | POCSO Act के संयुक्त आपराधिक मामले।<br>04. संपूर्ण सत्र खण्ड पन्ना में मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अधीन पन्ना जिले में उद्भूत समस्त प्रकरण, आवेदन पत्र एवं विविध प्रकरण।<br>05. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।   |
| 4(ब) | द्वितीय जिला न्यायाधीश, पन्ना              | ---                                  | 01. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जायें।<br>02. थाना मड़ला, ब्रजपुर और सलेहा में पंजीबद्ध मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों से उद्भूत मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना दावा एवं घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेण्ट एक्ट, 1855) के समस्त प्रकरण।<br>03. द्वितीय जिला न्यायाधीश, पन्ना तथा प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण जो अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त हुये हों एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ। |
| 5(अ) | तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पन्ना            | ---                                  | रिक्त न्यायालय।   |
| 5(ब) | तृतीय जिला न्यायाधीश, पन्ना                | ---                                  | रिक्त न्यायालय।   |
| 06.  | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना | तहसील पन्ना, देवेन्द्रनगर एवं अजयगढ़ | 01. रु० 5,00,000 से अधिक 1,00,00,000 (एक करोड़) रुपये तक के व्यवहार वाद।<br>02. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।<br>03. रु. 201 से लेकर रु. 500 तक के लघुवाद प्रकरण।<br>04. म०प्र० नगरपालिका एक्ट की धारा 133 एवं 172 के अधीन अपीलें।<br>05. हिन्दू माईनॉरिटी एण्ड गार्जियनशिप, 1957(1) की धारा 32(9) के अधीन प्रकरण।<br>06. दिवालिया अधिनियम के अधीन प्रकरण।   |

(7)

| क्र० | न्यायालय का नाम   | क्षेत्र                        | प्रकरणों का प्रकार  |
|------|---|--------------------------------|---|
|      |   |                                | <p>07. डिस्प्लेज्ड परसन (डेडक्ट और इजेक्टमेंट) एक्ट, 1951 के अधीन प्रकरण।</p> <p>08. पन्ना जिला के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>09. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>11. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे।</p>  |
| 07.  | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना  | तहसील गुनौर, अमानगंज           | <p>01. रु. 5,00,000 से अधिक 1,00,00,000(एक करोड़) तक के व्यवहार वाद।</p> <p>02. रु. 201 से लेकर रु. 500 तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>03. उपरोक्त प्रकरण से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>04. अन्य व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाये।</p> <p>05. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के समस्त <b>रिक्त</b> अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे।</p> |
| 08.  | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश | तहसील पन्ना, गुनौर एवं अमानगंज | <p>01. रु. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद।</p> <p>02. रु. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>03. उपरोक्त प्रकरण से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>04. अन्य व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जायें।</p> <p>05. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश</p>   |

| क्र० | न्यायालय का नाम   | क्षेत्र            | प्रकरणों का प्रकार   |
|------|---|--------------------|--|
|      | वरिष्ठ खण्ड,<br>पन्ना   |                    | वरिष्ठ खण्ड, पन्ना तथा वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना (तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना को छोड़कर) के न्याया०/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीशगण) द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे।   |
| 09.  | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के <b>द्वितीय अतिरिक्त</b> व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना | तहसील देवेन्द्रनगर | 01. रू. 01 से लेकर रू. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद।<br>02. रू. 01 से लेकर रू. 200 तक के लघुवाद प्रकरण।<br>03. उपरोक्त प्रकरण से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।<br>04. अन्य व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जायें।<br>05. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्याया० से वापस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे। |
| 10.  | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना  | ---                | रिक्त न्यायालय।  |
| 11   | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना   | ---                | 01. व्यवहार प्रकरण, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जायें।<br>02. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पन्ना द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय से वापस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई चतुर्थ  |

(9)

| क्र०      | न्यायालय का नाम              | क्षेत्र                               | प्रकरणों का प्रकार  |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|
|           |                              |                                       | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना करेंगे।  |
| 12<br>(अ) | अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पवई | तहसील पवई, शाहनगर, रैपुरा एवं सिमरिया | <p>01. सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक रिवीजन, आपराधिक विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र एवं वे प्रकरण जो समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जायें।</p> <p>02. जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>03. विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>04. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना (एफ.टी.सी.) के न्याया० के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान पवई के द्वारा अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण प्रकरणों एवं अन्य समस्त विविध प्रकरणों की कार्यवाहियाँ।</p> <p>05. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपीलें।</p> <p>06. म०प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1982 के समस्त प्रकरण।</p> <p>07. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, जमानत एवं रिमाण्ड।</p> <p>08. ग्राम न्यायालय, तहसील पवई/पन्ना के प्रकरणों से उत्पन्न समस्त अपीलीय एवं विविध कार्यवाहियाँ।</p> |
| 12<br>(ब) | जिला न्यायाधीश, पवई          | तहसील पवई, शाहनगर, रैपुरा एवं सिमरिया | <p>01. रू. 1,00,00,000 (एक करोड़) रूपए से अधिक मूल्यके समस्त व्यवहार वाद।</p> <p>02. उपरोक्त व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>03. लघुवाद न्यायालय के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले रू. 501/- से अधिक रू. 1000/- तक के दावे।</p> <p>04. प्रोवेट एण्ड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकरण।</p> <p>05. ट्रेड यूनियन एक्ट के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>06. ग्राम न्यायालय पवई के प्रकरणों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>07. भू-अर्जन अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>08. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण।</p> <p>09. दत्तक ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत गोदनामा बावत्</p>   |

| क्र० | न्यायालय का नाम | क्षेत्र | प्रकरणों का प्रकार  |
|------|-----------------|---------|---|
|      |                 |         | <p>आवेदन पत्र।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1938 के तहत प्रकरण।</li> <li>11. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1968 के तहत प्रकरण</li> <li>12. विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण।</li> <li>13. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण।</li> <li>14. म०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(5) तथा 173 के अंतर्गत पवई में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण।</li> <li>15. ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जावें।</li> <li>16. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पवई द्वारा निर्णीत व्यवहार प्रकरणों में पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें।</li> <li>17. थाना पवई, शाहनगर, रैपुरा, सुनवानी एवं सिमरिया में पंजीबद्ध मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों से उद्भूत मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना दावा एवं घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेण्ट एक्ट, 1855) के समस्त प्रकरण।</li> <li>18. विशेष न्यायालय पन्ना से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरण जो सूची में वर्णित न हों।</li> <li>19. द्वितीय जिला न्यायाधीश, पन्ना (एफ.टी.सी.) के न्यायालय के अति० न्यायाधीश स्थान पवई के द्वारा निराकृत एवं अपीलीय न्यायालय से वापस प्राप्त, व्यवहार प्रकरण तथा उद्भूत इज़राय प्रकरण एवं अन्य समस्त विविध प्रकरण की कार्यवाहियाँ।</li> <li>20. न्यास अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रकरण।</li> <li>21. दिवालिया अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण।</li> <li>22. इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के अन्तर्गत प्रकरण।</li> <li>23. माध्यस्थम अधि 1940 के अन्तर्गत पंचाट मामले/ माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के मामले।</li> <li>24. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आदेशों के विरुद्ध प्रकरण।</li> <li>25. पब्लिक प्रिमाइसेस इन्विक्शन एक्ट 1971 के प्रकरण।</li> </ol> |

| क्र० | न्यायालय का नाम                    | क्षेत्र                               | प्रकरणों का प्रकार   |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
|      |                                    |                                       | <p>26. भरण पोषण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>27. अन्य ऐसे प्रकरण जो किसी अन्य न्यायालय को आवंटित न किए गये हों।</p> <p>28. म०प्र० नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत निर्वाचन याचिकायें।</p>  |
| 13.  | व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई | तहसील पवई, सिमरिया, शाहनगर एवं रैपुरा | <p>1. रु० 5,00,000 से अधिक 1,00,00,000 (एक करोड़) रुपये तक के व्यवहार वाद।</p> <p>2. रु. 201 से लेकर रु. 500 तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>3. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>4. म०प्र० नगरपालिका एक्ट की धारा 133 एवं 172 के अधीन अपीलें।</p> <p>5. हिन्दू माईनॉरिटी एण्ड गार्जियनशिप, 1957(1) की धारा 32(9) के अधीन प्रकरण।</p> <p>6. दिवालिया अधिनियम के अधीन प्रकरण।</p> <p>7. डिस्प्लेज्ड परसन (डेडक्ट और इजेक्टमेंट) एक्ट, 1951 के अधीन प्रकरण।</p> <p>8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>9. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियाँ।</p> <p>10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>11. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई द्वारा निर्णीत प्रकरणों से संबंधित इज़राय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई करेंगे।</p> |
| 14.  | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई | तहसील पवई, सिमरिया, शाहनगर एवं रैपुरा | <p>01. रु. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद।</p> <p>02. रु. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>03. उपरोक्त व्यवहार वादों एवं लघुवादों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन एवं व्यवहार प्रकरण।</p> <p>04. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले निष्पादन तथा व्यवहार प्रकरण।</p> <p>05. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय</p>   |

| क्र० | न्यायालय का नाम                                | क्षेत्र   | प्रकरणों का प्रकार   |
|------|--|---|--|
|      |  |   | पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।<br>06. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई द्वारा निर्णीत प्रकरणों से सम्बंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई करेंगे।  |
| 15.  | न्यायाधिकारी<br>ग्राम न्यायालय<br>पवई/पन्ना    | तहसील<br>जनपद पवई<br>एवं राजस्व<br>तहसील<br>पन्ना की<br>क्षेत्रीय<br>अधिकारिता<br>के अंतर्गत<br>जनपद<br>पंचायत/<br>पंचायतें | 01. जनपद पंचायत पवई एवं पन्ना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य सिविल प्रकरण।<br>02. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।<br>03. ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पन्ना/पवई द्वारा निर्णीत प्रकरणों से सम्बंधित इजराय, विविध प्रकरण की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पवई करेंगे।  |
| 16.  | व्यवहार<br>न्यायाधीश<br>कनिष्ठ खण्ड,<br>अजयगढ़ | तहसील<br>अजयगढ़   | 01. रु. 01 से लेकर रु. 5,00,000 तक के व्यवहार वाद।<br>02. रु. 01 से लेकर रु. 200 तक के लघुवाद प्रकरण।<br>03. उपरोक्त व्यवहार वादों एवं लघुवादों से उत्पन्न विविध न्यायिक प्रकरण एवं निष्पादन एवं व्यवहार प्रकरण।<br>04. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले निष्पादन तथा व्यवहार प्रकरण।<br>05. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।<br>06. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अजयगढ़ तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के समस्त (रिक्त) अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान अजयगढ़ द्वारा निर्णीत प्रकरणों से सम्बंधित इजराय, विविध प्रकरणों की सुनवाई एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय से वापिस प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ़ करेंगे। |

सिविल जिला पन्ना के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति/अवकाश/ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश में उनके न्यायालयों से संबंधित शीघ्र

सुनवाई यथा—रिमाण्ड, जमानत, सुपुदगी के आवेदनों का निराकरण नीचे लिखे न्यायालयों के सम्मुख न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा :—

| क्र० | न्यायालय का नाम व स्थान   | अनुपस्थिति में अवकाश कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश   |
|------|---|---|
| (1)  | (2)   | (3)   |
| 01.  | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना   | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, पन्ना करेंगे।  |
| 02.  | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं प्रथम जिला न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, पन्ना करेंगे।  |
| 03.  | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना   | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, पन्ना करेंगे।  |
| 04.  | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना   | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, पन्ना करेंगे।   |
| 05.  | जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पर्वी।  | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, पन्ना करेंगे। |
| 06.  | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना।   | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के  |





- नोट:-**
01. सत्र न्यायाधीश, पन्ना के अवकाश/टूर/ट्रेनिंग पर होने की स्थिति में जमानत आवेदन पत्र स्वयंमेव अंतरित होकर "अनुपस्थिति में अवकाश कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश" के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत होंगे।
  02. व्यवहार नियम, 1958 के नियम 21(4) के अन्तर्गत समस्त पीठासीन अधिकारियों को अत्यावश्यक प्रकृति के सिविलवाद ग्रहण करने हेतु ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश अवधि के लिये अधिकृत किया जाता है।
  03. यदि एक अपराध में एक आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गयी है और उसी अपराध में अन्य सह आरोपी के जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होते हैं तथा उस दिनांक को सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की दशा में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अन्तरित माना जाकर, उसकी सुनवाई संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेगी।
  04. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित अपराध के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र स्वमेव संबंधित अधिसूचित न्यायालय को अंतरित माना जाकर, उनकी सुनवाई संबंधित विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायाधीश द्वारा की जावेगी।
  04. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना के अवकाश में होने पर उनकी न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज), पन्ना एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम् न्यायाधीश, पन्ना द्वारा की जावेगी।

सही/-  
(भावना साधौ)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पन्ना (म0प्र0)

**(Through Email)**

**प्रतिलिपि :-**

- (01) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
  - (02) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना
  - (03) विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़), पन्ना
  - (04) प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
  - (05) द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
  - (06) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पवई
  - (07) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
  - (08) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
  - (09) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
  - (10) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पन्ना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पन्ना
  - (11) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय (पन्ना/पवई), पवई
  - (12) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पन्ना
  - (13) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई
  - (14) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अजयगढ़
  - (15) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़
  - (16) प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना
  - (17) कलेक्टर, जिला पन्ना
  - (18) पुलिस अधीक्षक जिला-पन्ना
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
- (19) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, पन्ना की ओर इस निर्देश के साथ कि कार्य विभाजन आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर, जिला न्यायालय, पन्ना की वेबसाइट/सी.आई.एस. पर भी अपलोड किया जाए।

**सही/-**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पन्ना (म0प्र0)